

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा, राजस्थान, जयपुर

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 11799-11805

दिनांक :- 04/03/2015

कार्यालय आदेश

वित्त विभाग के आदेश क्रमांक एफ. 1(6) वित्त/नियम/96 दिनांक 24.05.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (पेंशन) नियम 1996 के नियम 78 के नीचे अंकित राज्य सरकार के निर्णय संख्या 2 के अनुसरण में निम्नांकित सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 की 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण कर लेने पर उनके नाम के सम्मुख कॉलम संख्या 7 में अंकित जन्मतिथि के आधार पर कॉलम संख्या 8 में अंकित दिनांक को (मध्याह्न पश्चात्) राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है :-

क्र. सं.	लिक नं०	मेरिट नं.	नाम स.ले.अ. ग्रेड-11	श्रेणी	वर्तमान पदस्थापन विभाग/कार्यालय का नाम	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
1.	6162	229/85	श्री सुरेश चन्द पारीक	-	विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानीबडी, नागौर	22.07.1955	31.07.2015

यहाँ यह प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त सहायक लेखाधिकारी ग्रेड-11 के विरुद्ध आदेश जारी होने की तिथि तक निदेशालय में राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं पुनरावेदन) नियम 1958 के अन्तर्गत कोई जाँच लम्बित नहीं है।

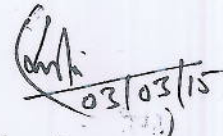


(भास्कर शर्मा)
निदेशक

क्रमांक :- एफ.3(ख)(1) (सेवानिवृत्ति)/अलेसे-11/ 11799-11805 दिनांक :- 04/03/2015

प्रतिलिपि :- निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, जयपुर।
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानीबडी, नागौर।
3. श्री सुरेश चन्द पारीक, स.ले.अ. ग्रेड-11, कार्यालय विकास अधिकारी, पंचायत समिति, रानीबडी, नागौर।
4. उपनिदेशक, (ए.सी.पी.) कार्यालय हाजा को वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
5. अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)।
6. वरिष्ठ निजी सहायक निदेशक महोदय।
7. निजी पत्रावली/गार्ड फाईल।


03/03/15

अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक-11)